



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276232  
CG-DL-E-16092026-276232

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4773]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितंबर 8, 2026/ भाद्र 17, 1948

No. 4773]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/ BHADRA 17, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2026

का.आ. 4963(अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2023 (2023 का 21) की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का. आ. 1447(अ), दिनांक 19 मार्च, 2026 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में, पैरा 3 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"3 क. धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (घ) के अधीन, निम्नलिखित को चार वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के अंशकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाएगा, अर्थात्:—

(1) डॉ. दीपिका मिश्रा, आचार्य, ओरल पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली;

(2) प्रो. विद्या रत्तन, आचार्य, ओरल हेल्थ साइंसेज सेंटर, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़।"

[फा. सं. वी. 12025/80/2025-डीई]

डॉ. विनोद कोतवाल, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ 1447(अ) दिनांक 19 मार्च, 2026 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**(Department of Health and Family Welfare)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st August, 2026

**S.O. 4963(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 read with clause (d) of sub-section (4) of section 4 of the National Dental Commission Act, 2023 (21 of 2023), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 1447(E), dated the 19th March, 2026, namely:—

In the said notification, after paragraph 3, the following paragraph shall be inserted, namely:—

**"3A. Under clause (d) of sub-section (4) of section 4, the following shall be appointed as part-time Members of the National Dental Commission for a period of four years, namely:—**

(1) **Dr. Deepika Mishra**, Professor, Department of Oral Pathology & Microbiology, All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi;

(2) **Prof. Vidya Rattan**, Professor, Oral Health Sciences Centre, Postgraduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER), Chandigarh."

[F. No. V.12025/80/2025-DE]

Dr. VINOD KOTWAL Addl. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 1447(E), dated the 19th March, 2026.